अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
5/2/19	[illegible] अभाव में उपस्थित राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अवकाश पर है। अतः सुनवाई [illegible] तलबी दिनांक 19.2.19 को की जावे।	
19/2/19	[illegible] के बाद एडोप्शन के निर्देश के बाद लाई स्थगित किया हुआ है। अतः सुनवाई [illegible] कार्यानुसार दिनांक 30.4.19 को की जावे।	
30/4/19	पत्रावली पेश हुई। P.O सा. चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। नोटिस तामील की जावे पत्रा० दिनांक 2.7.19 को पेश हो।	
2/7/19	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज लगवाये जाने के बाद भी न तो अभिभाषक अपीलांट और न ही स्वयं अपीलांट उपस्थित आये। अतः अपील अपीलांट अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner